संख्या–4776/9–आ–1–2002

प्रेषक,

संजय भूसरेड्डी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
   उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
   लखनऊ।
2. **उपाध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–1 लखनऊः दिनाँक–11 अक्टूबर, 2002

विषय : प्रदेश के विभिन्न विकास प्राधिकरणें, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा सृजित सम्पत्तियों के आवंटन में असफल आवेदकों की पंजीकृत धनराशि वापस किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश।

महोदय,

प्रदेश के विभिन्न विकास प्राधिकरणों, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा सृजित सम्पत्तियों के निस्तारण न होने के कारण एवं उनके निस्तारण हेतु सम्यक विचारोपरांत शासनादेश संख्या–4912/9–आ–1–99/32 हडको/97 टी.सी., दिनांक–4–11–1999 के द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गये थे जिनमें अन्य बिन्दुओं के अतिरिक्त प्रस्तर–1 (ख) में यह व्यवस्था थी कि विलम्बतम एक वर्ष में लाटरी द्वारा सफल आवेदकों का चयन कर लिया जाना चाहिए तथा असफल आवेदकों को उनके बैंक खाते के विवरण सहित एकाउण्ट–पेई चेक/ड्राफ्ट स्वतः भेज दिया जाना चाहिए तथा इसके लिए अलग से आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त व्यवस्था पर सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरणों/आवास विकास परिषद में संपत्तियों के आवंटन में पारदर्शिता लाए जाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि सम्पत्तियों के आवंटन हेतु लाटरी में असफल आवेदकों को उनकी पंजीकृत धनराशि, एकाउण्ट–पेई चेक/ड्राफ्ट या अन्य प्रचलित व्यवस्थाओं के अनुसार लाटरी की तिथि से 15 दिन के अन्दर वापस कर दी जाय। 15 दिन के अन्दर पंजीकृत धनराशि संबंधित असफल आवेदक को न भेजे जाने की दशा में, पंजीकृत धनराशि पर देय

ब्याज की कटौती उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के वेतन से की जायेगी इस विलम्ब हेतु सम्बन्धित कार्मिक/अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी माने जायेंगे।

3. इस संबंध में यह भी निर्णय लिया गया है कि असफल आवेदकों को नई योजना के लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा तथा पुराने पंजीकरण का नवीनीकरण किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा

4. प्राधिकरणों तथा उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद द्वारा भविष्य में योजना की पंजीकरण पुस्तिका में इस बात का उल्लेख अवश्य किया जाय कि उस योजना में भवनों/भूखण्डों की कितनी उपलब्धता है।

5. उक्त शासनादेश दिनांक 4.11.1999 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

6. कृपया उक्त शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्ा एंव आवश्यक कार्यवाही प्रेषितः–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

2. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु।

3. आवास सचिव शाखा के विशेष सचिव/उपसचिव/अनुसचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

4. गार्ड–फाइल।

आज्ञा से,

संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।?